



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2026/11739

दिनांक: 15 मई, 2026

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

G.L.BAJAJ GROUP OF INSTITUTIONS, MATHURA (511)

विषय: शैक्षिक सत्र 2025-26 से 2027-2028 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विगत शैक्षिक सत्र 2025-26 में आपके संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 से 2027-28 तक सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि संस्थान को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष आवेदन के साथ सम्बद्धता शुल्क के साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से निर्गत एप्रूवल लेटर अपलोड करना होगा।

तदक्रम में संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश क्षमता अभिवृद्धि/प्रवेश क्षमता कम किये जाने/पाठ्यक्रम/विधा बन्द किये जाने (यथा लागू) हेतु आवेदन करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 13.05.2026 एवं 14.05.2026 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निम्नानुसार सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By AICTE	Approved Intake By COA	Intake Approved For Affiliation
Bachelor of Technology	Computer Science	240	240		240
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	300	300		300
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning)	240	240		240
Masters of Business Administration	MBA	180	180		180

उपरोक्त सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 में निर्गत शर्तों के अधीन है।

(केशव सिंह)
का0 कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, फार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।